

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : रज्जवल राठौड़, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 103/2020 (Bank Case)

GCMS No. 2020/ 00230

युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बाजार नं. 06, रामगंजमण्डी, कोटा-326519
- प्रार्थी / सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री मोहम्मद अकील पुत्र श्री मोहीवूर रहमान
पता-वार्ड नं 21, यादव मोहल्ला कालोनी, रामगंजमण्डी, जिला-कोटा
326519 (राज.)
2. श्रीमती रूकसाना बैगम, पत्नी श्री मोहम्मद अकील
पता- वार्ड नं.-21, यादव मोहल्ला, रामगंजमण्डी, जिला-कोटा 326519

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्व्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेशियल
ऐसिट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्व्यूरीटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 13.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बाजार नं. 06, रामगंजमण्डी, कोटा-326519, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है, से अप्रार्थीगण 1 ने दिनांक 03.09.2016 को रूपये 10,00,000/- (अक्षरों रूपये दस लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में अचल आवासीय सम्पत्ति वार्ड नं. 21, यादव मोहल्ला, रामगंजमण्डी, जिला- कोटा, राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फिट है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.04.2016 से अप्रार्थी श्रीमती रूकसाना बैगम पत्नी श्री मोहम्मद अकील के नाम दर्ज है। जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में-राजवीर अहमद का मकान, पश्चिम में- भीम सिंह गली नं. 2, उत्तर में- बलराम का मकान, दक्षिण में- यादव मोहल्ला रोड स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 28.09.2019 को एनफोर्स कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 10,34,948/- (अक्षरों रूपये दस लाख चौतीस हजार, नौ सौ अड़तालीस मात्र) बकाया रकम दिनांक 09.10.2019 तक शेष देय है एवं इसके पश्चात आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 10.10.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सगलया है। प्रार्थी बैंक द्वारा 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इम्पदाद कमलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किये गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाने में द्रव्य ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 10.10.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 10.10.2019 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी/ बंधककर्ता अचल आवासीय सम्पत्ति वार्ड च. 21, यादव मोहल्ला, रामगंजमण्डी, जिला-- कोटा, राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फिट है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.04.2016 से अप्रार्थी श्रीमति रूकसाना बैगम पत्नि श्री मोहम्मद अकील के नाम दर्ज है। जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में--राजवीर अहमद का मकान, पश्चिम में-- भीम सिंह गली नं. 2, उत्तर में-- बलराम का मकान, दक्षिण में-- यादव मोहल्ला रोड स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्त कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश ब्रिगान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 13.01.2021 को सुनाया गया ।

2-15/1/21
(उज्जवल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)